सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 32/2015

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. हगामीलाल पुत्र स्व. देबीलाल
2. कानाराम पुत्र स्व. देबीलाल
3. कमला देवी पुत्री स्व. देबीलाल
4. विमला पुत्री स्व. देबीलाल

समस्त जाति दरोगा निवासीगण चांदथली तहसील सावर जिला अजमेर

वादीगण

बनाम

राज सरकार जरिये तहसीलदार सावर जिला अजमेर राजस्थान

प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः– 16.5.2018

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प बाजटा में पेश हुई। वादीगण / प्रतिवादी उपस्थित। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88,89_राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण के वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम बाजटा तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता संख्या 1 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 956 रकबा 13.15 हैक्ट किस्म पे. ता.1 सिवायचक खाते में दर्ज है। उक्त आराजी के में पूर्व की सीमा पर खसरा नम्बर 347/4/3, पश्चिम सीमा पर खसरा नम्बर 347/4/1, उत्तर सीमा पर पाल व दक्षिण सीमा पर खसरा नम्बर 347/4/5 कुल रकबा 5 बीघा स्थित है जिसके पुराने खसरा नम्बर 347/4/2 है। उक्त आराजी राजस्व केम्प ग्राम चोसला में दिनांक 18.11.1975 को वादीगण के पिता देवीलाल पुत्र बरदा जाति दरोगा निवासी चांदथली को आवंटन हुई थी। आवंटन तिथि से ही आराजी रकबा 5 बीघा पर वादीगण के पिता देबीलाल का व उनके स्वर्गवास के पश्चात वादीगण का कब्जा काश्त, उपयोग, उपभोग निरंतर चला आ रहा है। उक्त आवंटनशुदा आराजी खातेदारी में अंकन नही होने से वादीगण को काश्त करने व लगान अदा करने में अनकानेक कठिनाई का सामना करना पडता है। अतः वादीगण को आवंटनशुदा रकबा 5 बीघा आराजी पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार नाम अंकित किया जावे।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। जवाब सरकार पेश हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में तनकी कायम की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित पक्षकारान को सूना। जवाब सरकार का अवलोकन किया। प्रस्तुत जवाब सरकार अनुसार वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 347/4 हाल खसरा 956 किस्म पेटा तालाबी है तथा आवंटन का अमल दरामद कभी हुआ ही नही। वर्तमान रिकॉर्ड अनुसार हाल खसरा नम्बर 956 की किस्म पेटा तालाबी 1 है जो प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में आती है व अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित है। वादग्रस्त आराजी का अवलोकन करने पर कब्जा काश्त होना नही पाया। अतः वादी का दावा प्रेमापेशाई केस होना नही पाया जाता है न ही वाद का संतुलन वादी के पक्ष में है।

अतः वादी का दावा ग्राम बाजटा तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित आराजी खसरा नम्बर पुराने 347/4/2 रकबा 5 बीघा भूमि तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार किस्म पै.ता. होने एवं प्रतिबन्धित श्रेणी में होन से *वादी का वाद स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।*

निर्णय आज दिनांक 16.5.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गयां।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी